बजट आवंटन शादी अनुदान योजना – आयोजनागत 2016–17

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
कासगंज, बलिया, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, लखीमपुरखीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदास नगर, (21 जनपद)।

पत्रांक / 004-Marrige Plan / 2183 / पि0व0क0 / शादीअनुदान / 2016–17 दिनांकः 28 मार्च, 2017

विषय : पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 79 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि का आबंटन।

महोदय,

अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या– 79 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 1,54,00,00,000.00 (रूपया एक अरब चौवन करोड़ मात्र) की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 20 / 2016 / 2015 / 64–2–2016–1(15) / 2016, दिनांक 20 जून, 2016 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से रू0 14,10,00,000.00 (रूपया चौदह करोड़ दस लाख मात्र) का आवंटन व्यय हेतु संदर्भित शासनादेश में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपको किया जा रहा हैः–

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1 / 2016 / बी–1–746 / दस–2016–231 / 2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं आदेशों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।
2. लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली सहायता उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन एवम् असहाय व्यक्तियों के इलाज तथा पुत्रियों की शादी (वित्तीय सहायता) नियमावली, 2007, शासनादेश संख्या– 7 / 2016 / 106 / 64–2–2016–1(66) / 2006 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 एवं शासनादेश संख्या–21 / 2016 / 396 / 64–2–2016–1(66) / 2006 दिनांक 18 जुलाई, 2016 के प्राविधानों तथा समय–समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों / दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रश्नगत प्राविधानों से विचन अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।
3. स्वीकृति की जाने वाली धनराशि का कोषागार से आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–79 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–03–पिछड़े वर्गो का कल्याण–800–अन्य व्यय–04–पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सम्पूर्ण, मुख्य, उपमुख्य, लद्यु तथा विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय

में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से 'आयोजनागत' शब्द अवश्य अंकित किया जाय, जिसके लिए रबर की मोहर अधिक श्रेयस्कर होगी।

6. शादी अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् सम्बन्धित मामलों में सम्बन्धित लाभार्थियों को नियमानुसार देय आर्थिक सहायता की धनराशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से सर्वर पर डाटा अपलोड करने एवं तद्पोपरान्त रिस्पान्स प्राप्त होने पर तत्सम्बन्ध में पूर्व से प्रचलित व्यवस्थानुसार ई–पेमेन्ट के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से की जायेगी।

7. सम्बन्धित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि इस योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली धनराशि का प्रत्येक माह सत्यापन कर तद्विषयक रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी से प्रमाणित करा कर निदेशालय को प्राप्त करायेंगे।

8. बजट मैनुअल में निहित निर्देशों के अनुपालन में विभागीय आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा आबंटन के सापेक्ष कोषागार से आहरित धनराशि के सम्बन्ध में वाउचर संख्या तिथि तथा आहरित धनराशि का विवरण अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर भेजना सुनिश्चित किया जाय। अनुपालन न करने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

9. स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष 2016–17 में किन्हीं नई मदों के उपयोग हेतु नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि का समर्पण ससमय विभाग को करना अनिवार्य होगा।

10. उक्त से संबन्धित व्यय विवरण निदेशालय को नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आबंटन निदेशालय आबंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 24 से 28 पर अंकित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवम् लेखाधिकारी।

(महेश कुमार गुप्ता)
निदेशक।

पृ0सं0: 218-3 003-Marrige Plan / पि0व0क0 / शादी अनुदान / 2016–17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण ,उत्तर प्रदेश।
6– सम्बन्धित योजना पटल, मुख्यालय।

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवम् लेखाधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-28/03/2017

प्रेषण संख्या:- .
आवंटन आदेश संख्या:- 004-MARRIGE ASSISTANCE
अनुदान संख्या:- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े(आयोजनागत-मतदेय)
03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
800 - अन्य व्यय
04 - पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	बदायूं-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9000000 33360000	9000000 33360000
2	शाहजहांपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4240000 27400000	4240000 27400000
3	पीलीभीत-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	12880000 37140000	12880000 37140000
4	इटावा-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6400000 18600000	6400000 18600000
5	इलाहाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8400000 54400000	8400000 54400000
6	झाँसी-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2900000 18340000	2900000 18340000
7	बांदा -4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1740000 15620000	1740000 15620000
8	मिर्ज़ापुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8500000 27740000	8500000 27740000
9	बलिया-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6180000 31060000	6180000 31060000
10	बस्ती-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9380000 28380000	9380000 28380000
11	लखीमपुर खीरी-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13380000 44340000	13380000 44340000
12	प्रतापगढ-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	16020000 40500000	16020000 40500000
13	ललितपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5120000 14520000	5120000 14520000
14	कानपुर देहात-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7080000 21140000	7080000 21140000
15	सोनभद्र-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	300000 14660000	300000 14660000
16	महोबा-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6380000 13140000	6380000 13140000
17	संत रविदास नगर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1340000 13340000	1340000 13340000
18	संत कबीर नगर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2380000 15620000	2380000 15620000